भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट ।।। नई दिल्ली, 12.06.2012

<u>दूरसंचार परिपत्र सं.06/2012</u>

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

प्रबंध निदेशक/आरसीआईएल/नई दिल्ली।

विषय: रेलों द्वारा एसटीएम 4 बैंडविड्थ की व्यवस्था करने के लिए रेलटेल को पट्टा प्रभारों का भुगतान।

संदर्भ: आरसीआईएल का दिनांक 20.04.2012 का पत्र सं.आरसीआईएल/2007/ओ एंड एम/ओ एंड एम चार्जेज़/637

रेलटेल ने अपने संदर्भाधीन पत्र के तहत एसटीएम 4 बैंडविड्थ प्रभारों के भुगतान में विलंब होने के कारण हो रही कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है और वित्तीय बोझ कम किए जाने के लिए मौजूदा कार्यपद्धति में परिवर्तन किए जाने का अनुरोध किया है।

2. बोर्ड में इस मामले पर विचार किया गया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(i) एसटीएम 4 पट्टा प्रभारों के भुगतान के लिए, रेलटेल द्वारा उत्तर रेलवे को छः माह के आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाएं।

(ii) वित्त वर्ष के पहले छः माह के लिए अर्थात् 01.04.xxxx से 30.09. xxxx तक रेलटेल द्वारा 31.03. xxxx को एसटीएम 4 आरकेएम के संगत एवं विधीक्षत् आंकड़ों के आधार पर एक अनंतिम बिल प्रस्तुत किया जाए। इसका उत्तर रेलवे द्वारा शीघ्र भुगतान किया जाएगा, जिसे ज़ोनल रेलों से आगे डेबिट किया जाएगा। ज़ोनल रेलें इसका समाधान करेंगी और विधीक्षत् आंकड़ों को 31.7. xxxx तक प्रस्तुत करेंगी तथा भुगतान में किसी भी प्रकार के अंतर को उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलटेल के साथ निपटाया जाएगा।

(iii) वित्त वर्ष के अगले छः माह के लिए अर्थात् 01.10. xxxx से 31.03. xxxx तक पहले छः माह के विधीक्षत् एवं संगत आंकड़ों के आधार पर एक अनंतिम बिल प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर रेलवे बिलों का शीघ्र भुगतान करेगा और ज़ोनल रेलों से डेबिट किया जाएगा। ज़ोनल रेलें इनका समाधान करेंगी और विधीक्षत् आंकड़ों को लेखा समाप्ति अर्थात् 31.05. xxxx से पूर्व प्रस्तुत करेंगी।

3. प्रारंभ में इस कार्यपद्धति को एक वर्ष की अवधि के लिए अपनाया जाए और भुगतान संबंधी इस कार्यपद्धति को जारी रखने/आशोधन करने के संबंध में अनुभव के आधार पर निर्णय लेने के लिए समीक्षा की जाएगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(राकेश रंजन)
निदेशक (दूरसंचार)

सं.2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट ।।।   नई दिल्ली, 12.06.2012

प्रतिलिपि:

(i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
(ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि:

(i) सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें।
(ii) एफ (एक्स) ।। एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।